न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–27 / 2024

जीसीएमएस नं.:–2024 / 292

सोहनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––आवेदक

बनाम्

1. कुलदीपकुमार पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
2. कृष्णादेवी पत्नी पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
3. कान्तादेवी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
4. गंगादेवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
5. चन्द्रवती पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
6. देवीलाल पुत्र भुराराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगगानगर (राज.)
7. निर्मल पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
8. ममता पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
9. मीनादेवी पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
10. मोहनलाल पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
11. रजनी पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
12. रतनलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी ताखरावाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
13. रामदेवसिंह पुत्र पन्नाराम नाबालिग जरिए संरक्षण सरपरस्त माता कृष्णोदेवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरावाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
14. लक्ष्मीदेवी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
15. सुमन पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
16. सरस्वतीदेवी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
17. सावित्री देवी पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
18. साहबराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
19. हेमलता पुत्री पन्नालाल नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त माता क[illegible]नी पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ताखरांवाली तहसील श्रीगंगानगर (राज.)
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:54 IST
Reason: SelfAttested

–– अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो अधिवक्ता आवेदक की ओर से
2. श्री साहबराम अधिवक्ता अनावेदकगण सं.–1,2,4,6,7,10,12,13,18,19 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

3. राज पैरोकार अनावेदकगण सं.–20 की ओर से

4. एक पक्षीय कार्यवाही अनावेदकगण सं.–3,5,8,9,11,14,15,16,17 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 20/05/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक सं.–1 ता 19 के नाम से सयुक्तं रूप से वाके चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–11 पत्थर सं.–301/398 का किला नं.–1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 19, 10/1, 11/2, 12ता 16, 20/1, 21/1 में कुल 4.301 हैक्टर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अनावेदक सं.–1 ता 19 के संयुक्त अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। अनावेदक सं.–1 ता 19 के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ़ के चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–11 पत्थर सं.–301/398 के किला नं.–21/1 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता आवेदक की कृषि भूमि इसी मुरब्बा नं.–11 पत्थर सं.–301/398 के किला नं.–22 तक जाकर आवेदक की कृषि मि में प्रवेश कर जायेगा इस प्रकार उक्त रास्ता आवेदक के किला नम्बर 22 से होकर अनावेदक सं.–1 ता 19 के किला नम्बर 21/1 में से होता हुआ सरकारी आम रास्ता पर पहुंचता हैं तथा इसी रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करके अपनी कृषि भूमि में पहुंचंता है इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवाजाही के लिए कोई रास्ता नंही है तथा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगा तथा जो रास्ता गावं में जाने वाले सरकारी रास्ता आम से जुड़ जाऐगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगी उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछले काफी समय से चालू है लेकिन अनावेदक सं.–1 ता 19 उक्त चले रहे रास्ता से आवेदक का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है। आवेदक की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में कोई मार्ग नहीं है तथा आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता हैं जिसकी आवेदक को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदक ने अनावेदक सं.–1 ता 19 से अरसा पाचं दिन पूर्व किला नम्बर 21/1 में 2 बिस्वा रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गए और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वे आवेदक को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 21/1 में से कोई रास्ता नंही देगें बल्कि इस किला में जो रास्ता चल रहा हैं उसे शिघ्र ही बन्द कर देगें इसलि[illegible] ओर से आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि वाके चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–11 पत्थर सं.–301/398 का किला [illegible] 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.771 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अनावेदक सं.–1 ता 9 के सयुक्त धारणाअधिकार, कब्जा व अधिपत्य की कृषि भूमि वाके चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–11 पत्थर नं.–301/398 का किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–21/1 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. –1,2,4,6,7,10,12,13,18 व 19 की ओर से श्री साहबराम अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। कि प्रार्थी के भाई शिवनारायण पुत्र पृथ्वीराम के नाम की कृषि भूमि जो शिवनारायण के वारिसान पार्वती वगै. के नाम से राजस्व रिकार्ड मे मुरब्बा नं.–301/399 हैं जिसमें से प्रार्थी अपनी जोत तक आज रोज तक निरतंर वा निर्बाध रूप से प्रवेश कर रहा है। हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं व उसकी स्वंय की भूमि भी इसी मुरब्बा में किला नं.–18 ता 25/1 मे 1.669 हैक्टर है। प्रार्थी के भाई शिवनारायण पुत्र पृथ्वीराम के साथ जो अब शिवनारायण के वारिसो के नाम से कृषि भूमि हैं मे से जब से कृषि भूमि मे जोत करने काफी वर्षों से अपने लगे हैं तब से प्रवेश कर रहा है जो भाई के खेत में से प्रवेश कर जोत को काश्त करता आ रहा हैं। हम अप्रार्थीगण के खेत मे से कभी भी प्रवेश कर अपनी जोत मे नहीं गया है। लघुतम मार्ग भी अपने भाई के खेत मे जिसमे स्वंय की भूमि भी है जो मुरब्बा नं.–301/399 के किला नं.–18 ता 25/1 भी हैं हम अप्रार्थीगण को इस कारण परेशान कर रहा हैं कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं व हमारे साथ आऐ रोज कोई ना कोई बहाना बना कर परेशान करता आ रहा है। हम अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति हैं निजके पास बहुत छोटी जोत है यानि बहुत कम कृषि भूमि है। हम अप्रार्थीगण के पास कुल 4.301 हैक्टर जिमसें से भी खाला कटा हुआ हैं इस प्रकार कुल 4.177 हैक्टर ही जोत रह जाती हैं व जिसमे हम 19 व्यक्ति के नाम है यानि एक व्यक्ति को एक बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि आती है। जबकि उसके भाई की कृषि भूमि काफी हैं जिसमे अगर रास्ता लिया जाता हैं तो सुगम व छोटा रास्ता हैं जिसमे काफी वर्षो से चला आ रहा है। हम अप्रार्थीगण के खेत से कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज या पटवारी की रिपोर्ट या सरपंच का शपथ पत्र पेश नही किया हैं जिसमे यह अंकित हो कि हम अप्रार्थीगण के खेत मे से अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करने हेतु रास्ता पिछले काफी वर्षों से चलता हो मात्र झूठ बोल कर न्यायालय को गुमराह कर रास्ता प्राप्त करना चाहता है।

अनावेदकगण सं.–20 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि चक 4 एलएसएम का मुं.नं.–11 पं.नं.–301/398 का किला नं.–21/1 प्रत्येक में से 2 बीस्वा रास्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कि[illegible] के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्र में भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का [illegible] संयुक्त रिपोर्ट मय मौका नक्शा सहित इस पत्र के सलग्न करके [illegible] करके निवेदन है कि प्रकरण प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी को अन्य रास्ता का निकटतम [illegible]कल्प नहीं होने पर इस रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में रिपोर्ट सादर प्रेषित है। प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही लगता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ से कमांक राजस्व/कोर्ट/2026/36 दिनांक 08.01.2026 रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि आवेदक को अपने खेत में जाने के लिए चक 4 एलएसएम का मु.नं.–11 पं.नं.–301/398 का किला नं.–21/1 प्रत्येक में से 2 बीस्वा रास्ता स्वीकृत खेत हेतु मांग की है। आवेदक के खेत में आने जाने हेतु निकटतम व अन्य कोई रास्ता नही लगता है। चाहा गया मार्ग निकटतम है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज. में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण आवेदक का प्राथना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–11 पत्थर नं.–301/398 का किला नं.–21/1 में 2–2 बिस्वा रास्ता** स्वीकृत कर अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, निकटतम अन्य कोई रास्ता नही लगता हैं जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता हैं तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त. (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर** (मुआवजे) **की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश आवेदक को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें रास्ता में आई भूमि की राशि अनावेदकगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 20/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर ... जिला श्रीगंगानगर